Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

CNR NUMBER

Number of Case सहायक/242/89 Year 2024

पृथ्वीसिंह परिहार Versus ओमदत्त व अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक: एफ-9/14/7/5/मू.अ./2 ... क 18-06-2024 की पालना में ... सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर को मुंतकिल की जाती है।	
	यह पत्रावली ... डी.एस. कोर्ट जोधपुर से ... आदेशानुसार ... नम्बर ... उप पत्रावली ... से ... दिनांक 05/7/24 को पेश हो।	
05/07/24	पत्रावली पेश। वकुलाम उप./ ~~स्वपक्षीय~~ उभयपक्ष बहस सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा० पत्र पत्रावली दिनांक 08/07/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर	
08/07/24	पत्रावली पेश। उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया। मुताबिक बहस अधि० प्रार्थी "स्व० भोमाराम S/o अमराराम की खातेदारी में ग्राम भदवासिया, ख० सं० 64, 68 की 26-03 बीघा भूमि थी। भोमाराम की मृत्यु के बाद भूमि उनके 03 पुत्रों (बींजाराम, गोपीराम, पुरखाराम) के नाम 1/3 हि० दर्ज हुआ। बींजाराम जी ने अपना 1/3 हि० गुलजार गृह निर्माण सहकारी समिति को वर्ष 1982 में बेचान कर दिया। पुरखाराम ने अपना 1/3 हि० वर्ष 1974 में बेचान कर दिया। गोपीराम का देहांत वर्ष 1981 में होने के बाद एवं उगमा देवी W/o. गोपीराम के वर्ष 2015 में देहांत बाद उनके वारिसान	

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट ... जोधपुर

Order Sheet (Subsequent)

[illegible handwritten court name]

Number of Case .... [illegible] / [illegible] 2021

[illegible] Versus [illegible]

[illegible] धारा 212 RTA 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	बादी व प्रति. काबिज हो गया। प्रति. सं./अप्रार्थी सं. 1/2 सुनिल दत्त द्वारा मुकदमे में पैरवी हेतु प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगणों से मुख्त्यारनामा प्राप्त किया गया, किंतु अप्रार्थी सं. 1/2 ने इसके साथ फर्जी तरीके से वसीयतनामा भी बनवा लिया। उक्त का खंडन प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण द्वारा दैनिक भास्कर दिनांक 21/03/15 में किया गया। अप्रार्थी सं. 1/2 द्वारा इसका खंडन दिनांक 22/03/15 को करते हुए notices भेजे गये, जिनका विस्तृत जवाब प्रार्थी एवं अन्य अप्रार्थीगण द्वारा दिया गया। वर्तमान में विवादित भूमि कुर्क है अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि के मौका एवं record की यथास्थिति बनाए रखें।" अधि. प्रार्थी द्वारा citation पेश- Shakeel Ahmed v/s Syed Akhlaq Hussain : H' SC judgement- "No right, title or interest in immovable property can be conferred without a registered document." मुताबिक बहस अधि. अप्रार्थी 1(i), ii), iii), v)) "प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण अपना हिस्सा 2.15 लाख का जरिए इकरारनामा प्रतिफल प्राप्त करके कर चुके हैं। प्रार्थी द्वारा इकरारनामा शून्य घोषित करवाने	

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर (कास्ट ट्रेड) जोधपुर 2023/836 CNR NUMBER ....

Number of Case .... A/89/ .... Year 2024 ....

पृथ्वीसिंह परिहार .... Versus स्व. ओमदत्त के वारिसान ....

अन्तर्गत धारा 212 RTA 1955 व अन्य

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। खुशबू सोलंकी द्वारा अप्रार्थी के हि. में 01 बीघा पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, तब प्रार्थी द्वारा धारा 145 की कार्यवाही करके विवादित भूमि को कुर्क करवाया गया, जिसकी appeal मा. राज. उच्च न्यायालय में pending है। वर्तमान में यह थानाधिकारी के possession में है। एक अन्य वाद गुलजार गृह Vs. मोहन सिंह में तरमीम का अनुतोष चाहा गया है। प्रा. पत्र से संबंधित वाद में भी तरमीम का अनुतोष चाहा गया है। एक अनुतोष के 02 वाद पोषणीय नहीं है। अतः प्रा. पत्र खारिज फरमाया जावे।"	
	अधि. अप्रार्थी द्वारा citation पेश किया गया।	
	Jhanwari Lal Vs BoR: H' Raj. HC judgement " possession of respondent since 1968, half of portion was purchased by Banshi Lal & rest of land was recorded in name of Nand Lal, petitioners have no right in land in question."	
	उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- " चूंकि प्रार्थी विवादित भूमि का recorded खातेदार	

Order Sheet (Subsequent)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर CNR NUMBER 2023/936

Number of Case A/69/ Year 2024

पृथ्वीसिंह परिहार Versus श्री ओमप्रकाश आदि व राज्य

अन्तर्गत धारा - 212 RTA - 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	है, अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। यदि भूमि का बेचान होता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है। अतः विवादित भूमि में प्रार्थी के हक-हिस्से के 1/18 हि. के record की यथास्थिति तारफैसला मूलवाद बनी रहे।" आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल-शुमार होकर दाखिल- दफ्तर हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर [Seal: कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) ... जोधपुर; सत्यमेव जयते]	